

राजस्थान –सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
 क्रमांक / नर्सिंग / सामान्य-नर्स-2 / नियम 0 / स्थाई / श्रीगंगानगर / 2018 / दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग / नर्स-2 (सीधी भर्ती-2013) / 2016 / 60 दिनांक 10.02.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित / स्थाई करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पै मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800 / - एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र०स०	नाम कर्मचारी	जन्म.तिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रदीप कुमार	12.05.89	श्रीगंगानगर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
2	लकी स्वामी	17.07.87	श्रीगंगानगर	16.02.16	15.02.18	16.02.18
3	देवी सिंह	06.10.85	श्रीगंगानगर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
4	राजकुमार स्वामी	14.01.81	श्रीगंगानगर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
5	सर्वजीत कौर	15.07.82	श्रीगंगानगर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
6	सरप्रीत कौर	19.11.80	श्रीगंगानगर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
7	राजपाल	01.12.84	श्रीगंगानगर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
8	संदीप कुमार	21.02.82	श्रीगंगानगर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
9	सुनीता	10.05.82	श्रीगंगानगर	15.02.16	14.02.18	15.02.18
10	बलकार सिंह	01.01.86	श्रीगंगानगर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
11	काना राम	01.09.84	श्रीगंगानगर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
12	राजकुमार	05.12.80	श्रीगंगानगर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
13	महेन्द्रलाल	02.05.76	श्रीगंगानगर	12.02.16	11.02.18	12.02.18

52


(राकेश शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / सामान्य-नर्स-2 / नियम / स्थाई / श्रीगंगानगर / 2018 / 57

दिनांक:- 10/4/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, बीकानेर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।